न्यायालय सहायक कलक्टर, भदेसर जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	फैसल दिनांक
48/2021	17.02.2021	06.12.2021

अनवान

ललित पिता कन्हैयादास वैष्णव उम्र वयस्क निवासी मण्डफिया तहसील भदेसर

.........वादी

।। बनाम।।

1. सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
2. सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय चित्तौड़गढ़

.........प्रतिवादीगण

वादपत्र खातेदारी घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अंतर्गत धारा 88,89,188 राज0काश्त0अधिनियम,1955

उपस्थित – श्री फारूख मोहम्मद वकील वादी

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 रा0का0अधि0 का वाद ऑर्डर 7 नियम 1, 2 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी की कब्जे काश्त की आराजी वाके मौजा ग्राम कुरेठा पटवार हल्का बागुण्ड तह0 भदेसर जिला चित्तौडगढ़ राज0 की साबिक आराजी नं. 9/5 में से 3 बीघा कृषि भूमि वादी ने पूर्व खातेदार से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया और रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रेकार्ड में उक्त आराजीयात वादी के नाम दर्ज हुई जिस पर वादी बहैसियत खातेदार काश्तकार उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है।

यह कि वर्ष 2011 में भू प्रबंध अधिकारियो द्वारा भू प्रबंध किया गया। भू प्रबंध के दरम्यान वादी की मौजा कुरेठा प0ह0 बागुण्ड तहसील भदेसर की साबिक खाता सं. 87 में दर्ज 9/5 रकबा 3 बीघा (0.64 हैक्टेयर) के बाद सेटलमेंट नवीन खाता सं. 303 पर दर्ज आराजी नं0 130 रकबा 0.54 हैक्टेयर कायम किये गये एवं शेष 0.10 हैक्टेयर रकबे को बिलानाम सरकार आराजी नं0 131 रकबा 0.22 हैक्टेयर में दर्ज कर दिया। इस कारण वादी बिलानाम सरकार आराजी नं0 131 रकबा 0.22 हैक्टेयर में से 0.10 हैक्टेयर कृषि भूमि पुनः अपने नाम खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी होने से यह वाद प्रस्तुत कर निवेदन का इस किया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:12:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

वादीगण की उक्त आराजीयात के रकबे में कमी करने का भूप्रबंध अधिकारियो को कोई हक अधिकार नहीं था, उन्हें केवल पुराने इन्द्राज को ही आगे दोहराना था फिर भी भूप्रबंध अधिकारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के वादीगण की 0.10 हैक्टेयर कृषि भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज कर दी जबकि मौके पर वादी साबिक रकबा 3 बीघा कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है जिससे वादी उक्त बिलानाम आराजी नम्बर 131 रकबा 0.22 हैक्टेयर में से 0.10 हैक्टेयर कमी किये गये रकबे को अपनी खातेदारी में दर्ज करा उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने का अधिकारी होने से वाद पत्र वादी ने वाद पत्र इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया है।

दोरान सेटलमेंट विवादित आराजीयात वादी के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी मौके पर वादी 03 बीघा कृषि भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है फिर भी भू–प्रबंध अधिकारियों ने वादी के कब्जे काश्त की आराजीयात में से 0.10 हैक्टेयर को बिलानाम दर्ज कर दी है जिसकी आड में प्रतिवादीगण वादी को विवादित आराजीयात से बेदखल करना चाहते है व विवादित आराजीयात को अन्य को आवंटन करने पर आमादा हो रहे है ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादग्रस्त आराजीयात पर वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे ना हि जबरन कब्जा कर वादी को बेदखल करे ना किसी अन्य को उक्त भूमि आवंटित करे इस हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का आदेश पारित किया जावे।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम कुरेठा तहसील भदेसर में स्थित साबिक आराजी नम्बर 9/5 रकबा 03 बीघा जिसके नवीन आराजी नम्बरी 130 रकबा 0.54 हैक्टेयर बनाते हुए 0.10 हैक्टेयर कृषि भूमि को बिलानाम सरकार आराजी नम्बर 131 रकब 0.22 हैक्टेयर में मिला दिया जिसे पुनः वादी के नाम खातेदारी में दर्ज की उसके कब्जे में उपयोग उपभोग की 0.10 हैक्टेयर कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादी को अपने हक हिस्से से बेदखल नहीं करे ना हि किसी अन्य से करावे एवं विवादित आराजीयात किसी अन्य को आवंटित नहीं करे एवं ना किसी प्रकार की दखलंदाजी करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार भदेसर से क्रमांक/राजस्व/904 दिनांक 23.11.2021 को रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजीयात का गत रेकार्ड एवं पटवारी के मौजूदा रेकार्ड का अवलोकन किया गया। नवीन रेकार्ड अनुसार आ0नं0 130 जमाबंदी 2076 स्थाई के खाता संच 303 से प्रार्थी के नमा दर्ज रेकार्ड है। उक्त नवीन नम्बर ग्राम कुरे[illegible] [illegible]बिक आराजी नम्बर 9/5 रकबा 3 बीघा को क्रय द्वारा प्रार्थी को प्राप्त हुआ। आ.नं. 9/5 [illegible] रकबा 3 बीघा होने से परिवर्तित नया क्षेत्रफल 0.64 हैक्टेयर बनना चाहिये था जबकि भू [illegible] में इस आ.नं. 9/5 का रकबा 0.54 हैक्टेयर कर दिया तथा प्रार्थी के पास उत्तर दिशा [illegible] नवीन आराजी नम्बर 131 कायम कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:12:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

उसका रकबा 0.22 हैक्टेयर कर दिया है। साबिक नक्शे में इस तरह की अन्य सीमा 9/5 के समीप नहीं दर्शायी है। प्रार्थी के पास वर्तमान में 3 बीघा अर्थात 0.64 हैक्टेयर भूमि मौके पर है। प्रार्थी ने वर्तमान में इस आराजी को हांक रखा है तथा तारबंदी की हुई है। अतः समस्त रेकार्ड एवं मौके अनुसार प्रार्थी की गत आराजी 9/5 रकबा 3 बीघा के मुकाबले नवीन आराजी नम्बर 130 का रकबा 0.64 होना न्यायोचित है।

लायक अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी जिन्होनें वाद वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि राजस्व व भू–प्रबंध अधिकारियों की गलती से वादी की खातेदारी से विलोपित भूमि पुनः वादी की खातेदारी में दर्ज कराई जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख का अधोपरान्त, कमीश्नर रिपोर्ट का अवलोकन किया गया विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर न्यायालय वादी के कथन एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से सहमत है,वकील वादी के कथन से सहमत है। अतः वाद स्वीकार किया जाना उचित मानते है।

उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आलोक में वाद वादी निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है कि कि वादी की कृषि खातेदारी में दर्ज मौजा कुरेठा प0ह0 बागुण्ड तहसील भदेसर की साबिक खाता सं. 87 में दर्ज 9/5 रकबा 3 बीघा के बाद सेटलमेंट नवीन खाता सं. 303 पर दर्ज आराजी नं0 130 रकबा 0.54 हैक्टेयर बनाये गये। सेटलमेंट कार्यवाही में वादी के साबिक रकबे अनुसार कुल 0.10 हैक्टेयर भूमि को विलोपित कर बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया है कि क्षतिपूर्ति बिलानाम सरकारी आराजी आराजी नं. 131 रकबा 0.22 हैक्टेयर में से 0.10 हैक्टेयर से कम करते हुए वादी के नाम 0.10 हैक्टेयर भूमि खातेदारी हक से दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है तद्नुसार राजस्व रेकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में अमलदारामद किया जावें। इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से मुर्तिब हो।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:12:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner